

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा  
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल [jacct.dta@rajasthan.gov.in](mailto:jacct.dta@rajasthan.gov.in))

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9884 / 3314

दिनांक :- 25.06.19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री संजय कुमार मीणा [लिंक न. 9884] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग, बारां - [19403] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 24/05/2018 से 26/05/2018 तक 3 दिवस

दिनांक 29/05/2018 से 31/05/2018 तक 3 दिवस

दिनांक 18/06/2018 से 13/07/2018 तक 26 दिवस

दिनांक 16/07/2018 से 17/07/2018 तक 2 दिवस

दिनांक 26/09/2018 से 28/09/2018 तक 3 दिवस

दिनांक 26/10/2018 से 26/10/2018 तक 1 दिवस

दिनांक 08/01/2019 से 08/01/2019 तक 1 दिवस


दिनांक 17/01/2019 से 17/01/2019 तक 1 दिवस

दिनांक 19/01/2019 से 31/01/2019 तक 13 दिवस

दिनांक 01/02/2019 से 20/02/2019 तक 20 दिवस

कुल 73 दिवस

उक्त कुल 73 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री संजय कुमार मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

  
(मुकुन्द सोहोनी)  
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9884 / 3314

दिनांक :- 28.06.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग, बारां
2. कोषाधिकारी बारां
3. श्री /श्रीमती / सुश्री संजय कुमार मीणा [9884] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग, बारां
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)